न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 10/2020 (2020/00030)

तारीख दायरा—05.02.2020

तारीख निर्णय—18.01.2021

उनवान

1. श्री नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग उम्र वयस्क निवासी जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड़ रेवन्यू एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं मिलकियत की कृषि भूमि मौजा जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा में स्थित है। मौजा जसवन्तगढ़ तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 180 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग है। लिपिकिय गलती से उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर अंकित कर दिया है, जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर के बजाय नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 180 में वेणीशंकर के बजाय नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। पटवारी हल्का जसवन्तगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खातेदार वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग निवासी जसवन्तगढ का वास्तविक नाम नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग है तथा वर्तमान जमाबन्दी के खाता नम्बर 180 में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल के बजाय नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज करना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि मौजा जसवन्तगढ में प्रार्थी के नाम कृषि भूमि दर्ज है। मौजा जसवन्तगढ की जमाबन्दी संवत संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 180 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग है। अतः अपनी बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 180 में वेणीशंकर पिता भूरीलाल के बजाय नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:54 IST
Reason: SelfAttested

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। खाता संख्या 180 में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत जसवन्तगढ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जसवन्तगढ तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2070 से 73 के खाता संख्या 180 में प्रार्थी का नाम वेणीशंकर पिता भूरीलाल गर्ग के बजाय नेणी शंकर पिता भूरीलाल गर्ग दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतदनुसार पालना हेतु तहसीलदार गोगुन्दा निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:54 IST
Reason: SelfAttested